# आदेश पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)
आदेश पत्रक.................................... से.................................... तक
अंचल– कुरडेग जिला– सिमडेगा
वाद संख्या– 08/2022–23 वाद का प्रकार–

| आदेश की क्रम संख्या और तारिख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **30/08/2022** | इस वाद का संधारण प्रवीन कुजूर, पिता–स्व0 लौरेन्तूस कुजूर, ग्राम–सर्पमुण्डा (खुईलूमुण्डा) के आवेदन के आलोक में किया गया। आवेदक ने दावा किया है कि मौजा–सर्पमुण्डा, खाता संख्या–106, प्लॉट संख्या–1901, रकबा–0.02 एकड़ भूमि पर श्री फबयानूस मिंज द्वारा उनकी भूमि पर अवैध रुप से दखल किया गया है जो गलत है। अतः उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कृपा की जाय।<br><br>प्रार्थी के आवेदन को न्यायालय स्वीकृत करती है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें तथा उभय पक्षों से भूमि संम्बधी दस्तावेज की मांग करते हुए नोटिस निर्गत करें।<br>अभिलेख दिनांक 13/09/2022 को उपस्थापित करें।<br><br>अंचल अधिकारी,<br>कुरडेग। | |
| **13/09/2022** | **अभिलेख उपस्थापित।**<br>नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/अप्राप्त। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित। राजस्व प्रतिवेदन अप्राप्त।<br>अभिलेख दिनांक 30/09/2022 .को उपस्थापित करें।<br><br>अंचल अधिकारी,<br>कुरडेग। | |
| **30/09/2022** | **अभिलेख उपस्थापित।**<br>नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/अप्राप्त। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित। राजस्व प्रतिवेदन अप्राप्त।<br>अभिलेख दिनांक 21/10/2022 को उपस्थापित करें।<br><br>अंचल अधिकारी,<br>कुरडेग। | |
| **21/10/2022**<br>**06/12/2022** | **अभिलेख उपस्थापित।**<br>उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित। राजस्व प्रतिवेदन प्राप्त।<br>अभिलेख दिनांक 27/12/2022 को उपस्थापित करें।<br><br>अंचल अधिकारी,<br>कुरडेग। | |

| | | |
|---|---|---|
| 06/12/2022<br>11/04/2023 | **अभिलेख उपस्थापित।**<br>उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित। राजस्व प्रतिवेदन प्राप्त।<br>राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि सर्वे खतियान अनुसार खतियानी रैयत मागा उरांव वल्द कमतरीआ उरांव, मौजा– सर्पमुण्डा, खाता संख्या–106, प्लॉट संख्या–1901, रकबा–0.02 एकड़ भूमि, के नाम से दर्ज है जो आवेदक के वंशज हैं। उन्होने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि पर 0.02 एकड़ भूमि पर खेती बारी कर रहे है तथा उनके द्वारा उक्त भूमि का लगान दिया जा रहा है।<br>उक्त वाद में प्रतिवादी श्री फबयानूस मिंज के द्वारा प्रश्नगत्त भूमि का किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही प्रतिवादी के बयान अनुसार वादी के द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है तथा वाद को समाप्त करने का आग्रह किया।<br><br>उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मौजा– सर्पमुण्डा, खाता संख्या– 106, प्लॉट संख्या–1901, रकबा–0.02 एकड़ भूमि, खतियानी रैयत मागा उरांव वल्द कमतरीआ उरांव एवं पंजी ।। रैयत रफैल उरांव वगैरह के नाम से पंजी ।। में 10.41 (सम्मिलात) एकड़ भूमि दर्ज है। राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा है। अतः प्रार्थी प्रवीन कुजूर, पिता–स्व0 लौरेन्तूस कुजूर के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए सुनवाई समाप्त की जाती है।<br>लेखापित एवं संशोधित<br><br>11/4/23<br>अंचल अधिकारी,<br>कुरडेग।<br><br>11/4/23<br>अंचल अधिकारी,<br>कुरडेग। | |

Digitally signed by KRISHNA MURARI TIRKEY
Date: 2023.04.24 14:02:55 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:2429:1bc0:8a16:5b79